खंड ५ संख्या १४

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, दिनांक १२ जून, १९६८

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, रांची द्वारा मुद्रित, १९६९

[मूल्य—३७ पैसे]

परिशिष्ट ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ८९(३) के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गए ५ अल्पसूचित प्रश्नों के लिखित उत्तर ।

मेडिकल कॉलेज में पिछड़े वर्ग के छात्र ।

१६३ । श्री हुक्मदेव नारायण यादव—क्या मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मेडिकल कॉलेज में हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रहता है ;

(२) क्या यह बात सही है कि १९६६ से पहले यह नियम था कि हरिजनों के बाद जो स्थान बच जाता था वह पिछड़े वर्ग अनुसूची-१ के छात्रों से भरा जाता था ;

(३) क्या यह बात सही है कि अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्णकान्त सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है । मुकदमा नं० १३५१।६४ श्री नन्द किशोर शर्मा बनाम राज्य-सरकार में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रसंग में जिसमें उच्च न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया को असंवैधानिक बतलाया था, यह वर्त्तमान नियम लागू किया गया है । अब आदिवासी और हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों में से बचे हुए स्थान योग्यता क्रम में आए सामान्य कोटि के छात्रों को दिए जाते हैं । इस वर्ष मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन रहने के कारण इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

निदेशक के विरुद्ध कार्रवाई ।

१६४ । श्री राम जीवन सिंह—क्या मन्त्री, पशुपालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दिनांक १९ अक्तूबर, १९६७ को भूतपूर्व राज्य मन्त्री ने पन्द्रह पृष्टों का आरोप पत्र निदेशक, पशुपालन विभाग के विरुद्ध मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं मन्त्री, पशुपालन विभाग को दिया था ;

(२) यदि खण्ड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या अभी तक उक्त अभियोग की जाँच हुई, यदि हुई हो तो निदेशक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी तथा अभियोग क्या था ?

श्री कृष्णकान्त सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

बिहारीगंज में विकसित अस्पताल की आवश्यकता।

१६५। श्री शशिनाथ झा—क्या मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत किशुनगंज प्रखण्ड की आवादी वर्त्तमान आंकड़ों के मुताविक लगभग एक लाख एकतालीस हजार है ;

(२) क्या यह बात सही है कि घनी आवादी रहने के बावजूद उक्त प्रखण्ड में सिर्फ एक ही सरकारी औषधालय किशुनगंज में है ;

(३) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के व्यवसायिक केन्द्रों में बिहारीगंज का प्रमुख स्थान है और पूर्णिया जिला की सीमा पर अवस्थित वहाँ सिर्फ एक केन्द्र है ;

(४) क्या यह बात सही है कि लोगों की कठिनाई को देखते हुए स्थानीय व्यापारी श्री भवरलालजी ने अपने खर्च से एक प्रसूति गृह का निर्माण किया है ;

(५) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार किशुनगंज प्रखण्ड की आवादी को देखते हुए और लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए बिहारीगंज उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण विकसित औषधालय के रूप में परिणत करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री कृष्णकान्त सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) किशुनगंज प्रखण्ड मुख्यालय में सरकार की वर्त्तमान नीति के अनुसार एक राजकीय औषधालय है। घनी आवादी के आधार पर एक से ज्यादा अस्पताल खोलने की नीति सरकार ने अभी तक नहीं अपनायी है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) स्थानीय व्यापारी श्री भवर लालजी द्वारा प्रसूति गृह के निर्माण की सूचना सरकार को नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर भी वित्तीय संकट के कारण वर्त्तमान वर्ष में इसे नए औषधालत में उत्क्रमण करना सम्भव नहीं है।

(५) सरकार की वर्त्तमान नीति के अनुसार प्रखण्ड मुख्यालय में इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र सृजन करने का लक्ष्य है, जिसमें भोजन रहित ६ बेड का एक औषधालय होगा जो किशुनगंज प्रखण्ड में मौजूद है। अर्थाभाव के कारण आवादी के अनुसार नया औषधालय का सृजन करने की नीति सरकार ने अब तक नहीं अपनायी है। अतः बिहारीगंज स्वास्थ्य उपकेन्द्र को पूर्ण विकसित औषधालय में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता है।